न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :–श्रीमती शकुंतला चौधरी आर.ए.एस

मि0न0 –51/2019

अनवान : –

1. श्योनारायण पुत्र ओमप्रकाश जाति बाजीगर निवासी धानसिंया त0 नोहर।

प्रार्थी

बनाम

1. ओम प्रकाश पुत्र गुरूदयाल जाति बाजीगर निवासी धानसिंया त0 नोहर।
2. राजस्थान सरकार जरिये त0 नोहर।
3. उप पंजीयक महोदय खुईयां त0 नोहर।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र गोदारा **प्रार्थी**
श्री हवासिंह **अप्रार्थी**

निर्णय दिनांक: 03/01/23

संक्षेप में प्रार्थना के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा धानसिंया त0 नोहर के खाता सं0 123/109 के खसरा सं0 131, 566/1466, 566, 708 की कुल 13.4469है0 में प्रतिवादी सं0 1 के नाम 20171/134469 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

उपरोक्त कृषि भूमि अप्रार्थी सं0 1 के पिता ओम प्रकाश के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जो प्रार्थी की दादालाई कृषि भूमि है। जिसमें प्रार्थी का जन्म से हक हिस्सा निहित है। प्रार्थी का पिता ओमप्रकाश शराब के नशे का आदि है तथा अपने शराब के नशे के कारण गांव धानसिंया में स्थित मकान में से हिस्सा टीकुराम नायक निवासी धानसिंया को बेचान कर दिया है। तथा अब उपरोक्त वाद भूमि को अजनबी व्यक्ति को बेचान करना चाहता है। वाद भूमि को बेचान करने पर प्रार्थी के हक हिस्सो पर प्रतिकुल प्रभाव पड़ेगा। इसलिए प्रार्थी न्यायालय द्वारा अप्रार्थी सं0 01 ओम प्रकाश के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का कानूनी अधिकारी है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के उपरान्त अप्रार्थी सं0 1 ने जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया।

बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी सं0 1 के पिता ओम प्रकाश के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जो प्रार्थी की दादालाई कृषि भूमि है। जिसमें प्रार्थी का जन्म से हक हिस्सा निहित है। प्रार्थी का पिता ओमप्रकाश शराब के नशे का आदि है तथा अपने शराब के नशे के कारण गांव धानसिंया में स्थित मकान में से हिस्सा टीकुराम नायक निवासी धानसिंया को बेचान कर दिया है। तथा अब उपरोक्त वाद भूमि को अजनबी व्यक्ति को बेचान करना चाहता है। वाद भूमि को बेचान करने पर प्रार्थी के

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.14 12:06:40 IST
Reason: SelfAttested

हक हिस्सो पर प्रतिकुल प्रभाव पड़ेगा। प्रार्थी की दादालाई कृषि भूमि में अपने हक–हिस्सा की घोषणा न्यायालय में जैरकार वाद में होनी है, अतः ताफैसला वाद अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जावें कि वे उपरोक्त वाद भूमि को रहन बैय व मुन्तकिल ना करे। वकील अप्रार्थी ने अपने जवाब के तथ्यों को दोहराते हु कथन किया कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी का विवादित भूमि पर कब्जा नहीं है और ना ही राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अनुसार रिकार्डेड खातेदार के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का प्रार्थी अधिकारी है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र प्रार्थी सव्यय खारिज किया जावे।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। हमने प्रार्थना पत्र प्रार्थी जवाब प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण, उभय पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात यथा जमाबंदी, शपथ पत्र का अध्ययन किया। हम प्रकरण को अस्थाई निषेधाज्ञा के आवश्यक एवं सारभूत निम्नलिखित तीन बिन्दूओं के विवेचन के आधार पर प्रकरण को निर्णित करना आवश्यक समझते है।

1 **प्रथम दृष्टया मामला**:–प्रथम दृष्टया मामला का तात्पर्य यह है कि वादपत्र और उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात के अवलोकन मात्र से यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण हो कि वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी को अनुतोष प्राप्त करने का पर्याप्त आधार प्राप्त है तथा प्रार्थी को प्रथम दृष्टया आराजी के उपयोग का अधिकार प्राप्त है। चंकि प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन करने पर ज्ञात है कि उपरोक्त वाद भूमि प्रार्थी की दादालाई कृषि भूमि है। जिसमें प्रार्थी के अधिकारों की घोषणा अभी तक नहीं हुई है। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में बखूबी साबित है।

2 **सुविधा का संतुलन**:– अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रकरण में सुविधा का संतुलन एक आवश्यक एवं महत्वपूर्ण घटक है। इसका सामान्य तात्पर्य यह है कि यानि हस्तगत प्रकरण में व्यादेश नहीं दिया तो प्रार्थी को अधिकतम असुविधा होगी या नहीं। चुंकि उक्त प्रकरण प्रथम दृष्टया प्रार्थी के पक्ष में साबित है , हिन्दू उतराधिकार अधिनियम में वर्णित तथ्यों के अनुसार पैतृक कृषि भूमि में प्रार्थी का जन्म से ही हक हिस्सा निहित है। इस प्रकार यदि अप्रार्थी द्वारा उक्त विवादित कृषि भूमि को बेचान किया जाता है तो प्रार्थी के हित प्रभावित होंगे जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वांत के खिलाफ है। अप्रार्थी द्वारा उक्त रकबा यदि बेचान किया जाता है तो प्रार्थी अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए कृषि भूमि के उपयोग–उपभोग से वंचित रहेगा। इस प्रकार सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में साबित है।

3 **अपूर्णीय क्षति**:– उक्त प्रार्थना पत्र के आलौक में प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन दोनों प्रार्थी के पक्ष में साबित हुए है। चूंकि उक्त विवादित रकबे को यदि बिना घोषणा करवाये अप्रार्थी ओम प्रकाश द्वारा बेचान किया जाता है तो प्रार्थी को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा। इसके साथ–साथ ही यदि पूर्ण रकबा पर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो अप्रार्थी सं0 1 भी रिकार्डेड खातेदार होने के कारण अपने अधिकारों से वचिंत रहेगा। अतः अपूर्णीय क्षति का बिन्दू भी प्रार्थी के साथ साथ आंशिक अप्रार्थी सं0 1 के पक्ष में भी साबित है।

अतः उपयुर्क्त विवेचनानुसार व प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में जबकि अपूर्णीय क्षति का बिन्दू आंशिक अप्रार्थी सं0 1 के पक्ष में साबित होने के कारण प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट आंशिक स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थी सं0 1 को ताफैसला वाद पाबन्द किया जाता है कि वह उपरोक्त वर्णित वाद भूमि में अपने हक–हिस्सा से अधिक कृषि भूमि का बैचान ना करें ।

निर्णय आज दिनांक 03/01/23 .....को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.14 12:06:40 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर जिला हनुमानगढ़